सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 261/21 **दिनांक- 03 जून 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

सिंचाई विभाग मे नौकरी का झांसा देकर भले भाले लोगो से पैसा लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 08.06.2020 को वादी नीरज कुमार मिश्र पुत्र अवधनरायन मिश्र सा 0 लखमनपुर पट्टी बादल राय थाना तहबरपुर आजमगढ द्वारा थान स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि सिचाई विभाग मे अच्छे पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर अखरुजज्मा खान उर्फ सुल्तान उर्फ खान पुत्र स्व 0 मकबूल खान सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकर आजमगढ ने मुझसे 18 लाख रुपये ले लिये। नौकरी भी नही लगवाये पैसा मांगने पर नही दे रहे है और पैसे की डिमांड कर रहे नही देने पर किसी भी अंजाम तक जाने को कह रहे है कि लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0स0 85/20 धारा 386,406,420,504,506 भादवि पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे जनपद मे विवेचनाओ के निस्तारण के क्रम मे व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियो की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियो की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन मे निरीक्षक अपराध विजय प्रताप सिंह , मय हमराही के साथ रवाना होकर मुकदमे मे वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु बैठौली तिराहे पर मामूर थे कि विश्वस सूत्रो से पता चला कि मु 0अ0स0 85/20 धारा 386,406,420,504,506 भादवि का वांछित अभियुक्त अखरुज्जमा उर्फ सुल्तान उर्फ खान शाहगढ़ मे खड़ा है वकील से मिलने के गाड़ी का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर नि0अपराध मय हमराहीगणो के शाहगढ़ चौराहे के पास पहुचे और जैसे ही उक्त व्यक्ति के पास पहुचे कि वह भागने की कोशिश करने लगा तभी पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अखरुजज्मा खान उर्फ सुल्तान उर्फ खान पुत्र स्व 0 मकबूल खान सा 0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकर आजमगढ उम्र 45 वर्ष बताया। दिनांक 03.06.21 को समय 09.17 बजे शाहगढ़ से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभि0 अखरुजज्मा खान उर्फ सुल्तान उर्फ खान पुत्र स्व 0 मकबूल खान सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकर आजमगढ उम्र 45 वर्ष से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताए कि साहब नौकरी दिलाने के नाम पर नीरज कुमार मिश्र पुत्र अवधनरायन मिश्र से पैसे लिये थे। साहब गलती हो गई माफ कर दीजिये। अब ऐसा काम नही करेगे।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 85/20 धारा 386,406,420,504,506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभि0 अखरुजज्मा खान उर्फ सुल्तान उर्फ खान पुत्र स्व 0 मकबूल खान सा 0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकर आजमगढ उम्र 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 80/1993 धारा 504,506 IPC थाना मुबारकपुर आजमगढ़
2. मु0अ0स0 603/2002 धारा 392/411 IPC थाना मुबारकपुर आजमगढ़
3. मु0अ0स0 606/2002 धारा 3/25 A. Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ़
4. मु0अ0स0 92/2003 धारा 110 G CrPC थाना मुबारकपुर आजमगढ़
5. मु0अ0स0 181/2005 धारा 8/20 NDPS Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ़
6. मु0अ0स0 497/2005 धारा 8/20 NDPS Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ़
7. मु0अ0स0 1078/2009 धारा 419,420,467,468,471 IPC व 12 P.P. Act. व 8/20 NDPS Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ़
8. मु0अ0स0 1149/2009 धारा 302 IPC थाना मुबारकपुर आजमगढ़
9. मु0अ0स0 575/2010 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
10. मु0अ0स0 1153/2010 धारा 307 IPC व 7 CLA Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ
11. मु0अ0स0 1154/2010 धारा 4/5 विष्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ़
12. मु0अ0स0 385/2012 धारा 420,467,468,471,489A,489B,489C,489D,120B,34 IPC थाना मुबारकपुर आजमगढ़
13. मु0अ0स0 11/17 धारा 489B,489C,341 IPC थाना मुबारकपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. निरीक्षक अपराध विजय प्रताप सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे0का0 सन्तोष यादव थाना सिधारी आजमगढ़
4. का0 अजय गौड़ थाना सिधारी आजमगढ़
5. रि0का0 रतन सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना जहानागंज

अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद का बताते हुए बावत अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 153/19 धारा 363 ,366 भादवि बनाम अनुज पुत्र बुद्धिराम सा0 भोपतपुर थाना जहानागंज आजमगढ के पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना 1. सन्तोष पुत्र बुद्धिराम 2.राजेश पुत्र निठुरी ग्राम भोपतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ 3. सन्जू उर्फ संजीव कुमार पुत्र चन्द्रभान ग्राम रायपुर मोहरवा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः- आज दिनांक 03.06.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0सं0153/2019 धारा 363,366,376,120बी भादवि से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त सन्जू उर्फ संजीव कुमार पुत्र चन्द्रभान ग्राम रायपुर मोहरवा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को ब्लाक तिराहा से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्त उपरोक्त का नाम प्रकाश मे आया तथा विवेचना से धारा 376,120 बी भादवि वृद्धी की गयी है अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0153/2019 धारा 363,366,376,120बी भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तः-

सन्जू उर्फ संजीव कुमार पुत्र चन्द्रभान ग्राम रायपुर मोहरवा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- उ0नि0 विजय नारायण त्रिपाठी

2-का0 मुकेश यादव

3-का0विनय यादव

थाना- महराजगंज

04 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** व **प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे** के नेतृत्व में आज दि नांक 03.06.2021 को उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराही कर्म0 गण के देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के वांछित /वांरटी के गिरफ्तारी के अभियान के आदेश के क्रम में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 167/21 धारा 147 , 148, 323, 504, 506, 341, 308 IPC से सम्बन्धित अभियुक्तगण अपने घर पर ग्राम महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा में मौजूद है इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चार व्यक्तियो को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से बारी बारी नाम पता पूछने पर अपना नाम 1. मुन्नीलाल S/O सीताराम निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महराजगंज आजमगढ़ , 2. मन्नू निषाद S/O मुरली निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महराजगंज आजमगढ़ , 3. गोबिन्द निषाद S/O सतिराम निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महराजगंज आजमगढ़, 4. सीतराम निषाद S/O अलगू निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महराजगंज आजमगढ़ बताये , पकड़े गये आरोपीगण मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 147 , 148, 323, 504, 506, 341, 308 IPC का वांछित अभियुक्तगण है।

आरोपीगण उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 08.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 167/21 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 341, 308 IPC

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. मुन्नीलाल S/O सीताराम निषाद
2. मन्नू निषाद S/O मुरली
3. गोबिन्द निषाद S/O सतिराम
4. सीतराम निषाद S/O अलगू निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराह हे0का0 समेरिका यादव व हे0का0 रमेश कुमार

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 81 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।